



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या – 05/2021 के अन्तर्गत सहायक अंकेक्षण अधिकारी मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की औपबंधिक सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम:-

वित्त विभाग, बिहार के अन्तर्गत सहायक अंकेक्षण अधिकारी (अंकेक्षण निदेशालय) के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित वि.सं. 05/2021 के मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 05.12.2023 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें कुल-363 उम्मीदवार सफल घोषित किये गये। आयोग उक्त सभी सफल उम्मीदवारों को उनके दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित करता है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:00 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:00 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
गुरुवार 04.01.2024	500039,500048,500178,500265,500302,500470,500482,500502,500600,500835,501066,501235,501441,501572,501584,151640,501789,501907,501918,501958,502188,502199,502230,502358,502371,502375,502455,502478,502573,502611,502634,502663,502692,502774,502809,502852,502908,503201,503241,503554,503645,503656,503747,503756,503792,503919,503948,504249,504282,504453,504822,504950,505004,505146,505173,505215,505305,505392,505396,505418	505496,505557,505606,505624,505677,505785,505849,505876,505923,506054,506158,506410,506529,506588,506766,506783,506914,506966,507061,507209,507233,507257,507287,507406,507643,507666,507967,508161,508244,508319,508386,508407,508418,508474,508696,508714,508864,509025,509317,509382,509516,509605,509661,509666,509733,509785,509862,509962,510065,510119,510157,510242,510466,510487,510707,510856,510906,510924,511076,511086
शुक्रवार 05.01.2024	511238,511524,511568,511586,511606,511757,511834,512022,512075,512230,512307,512487,512539,512869,512921,512942,512992,513155,513195,513258,513493,513600,513642,513744,513796,513813,513865,514191,514236,514496,514506,514510,514514,514519,514582,514747,514771,514805,514876,514938,514953,514954,514979,514993,515035,515146,515212,515244,515262,515329,515357,515390,515409,515418,515732,515853,515896,515962,516121,516167	516292,516409,516462,516573,516826,516848,516879,517009,517048,517095,517099,517146,517319,517348,517361,517578,517588,517663,517709,517789,517854,517866,518061,518211,518223,518278,518298,518393,518473,518551,518557,518669,518888,519241,519255,519388,519403,519499,519507,519545,519684,519735,519817,519973,520062,520115,520226,520238,520273,520280,520697,520812,521067,521101,521408,521438,521522,521546,521644,521656
शनिवार 06.01.2024	521935,521975,521992,522075,522121,522129,522188,522249,522263,522397,522502,522586,522737,522950,523068,523229,523503,523510,523575,523585,523600,523671,523750,523776,523851,523990,524037,524369,524396,524403,524506,524927,525076,525111,525236,525277,525412,525427,525436,525524,525552,525656,525669,525776,525792,525809,525959,525996,526013,526098,526147,526196,526214,526245,526316,526318,526388,526393,526520,526556	526617,526707,526825,526831,526994,527004,527059,527208,527230,527401,527811,527819,527847,527931,527939,527949,528023,528153,528184,528270,528404,528547,528623,528664,528674,528797,528830,528902,528932,528945,529008,529090,529139,529146,529219,529304,529322,529332,529491,529506,529635,529655,529840,529979,530005,530032,530138,530145,530190,530274,530292,530355,530630,530710,530877,530958,531011,531314,531361,531410,531702,531705,531769

- उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार उक्त विज्ञापन के मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के ई-प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे।
- आयोग के उक्त वेबसाइट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र- I उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र- I में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारीयों/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
- सभी उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दिन अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी की एक प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उम्मीदवारों को प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाईन आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग-अलग) में भी लाना अनिवार्य होगा:-


- मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये ऑनलाईन आवेदन की प्रति (अनुलग्नक सहित)।
- जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार

अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।

- (iii) विज्ञापन की कड़िका-3 में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत अंकित डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- (iv) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (NCLC) में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग), जाति एवं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, का उल्लेख हो।
- (v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक 6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत)।
- (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।
- (viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)।
- (ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 एवं पत्र संख्या-12123, दिनांक-23.06.2023 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।
- (x) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (xi) बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से विहित प्रपत्र में निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- (xii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में (सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016) में निर्गत प्रमाण पत्र। हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र (परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)।
- (xiii) आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले बिहार सरकार के सरकारी सेवक को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- (xiv) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xv) पहचान पत्र (फोटोयुक्त) यथा -मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, झाईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि।
- (xvi) दो पासपोर्ट साइज के अद्यतन फोटोग्राफ (Recent Photograph)

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति एक सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रेमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29.06.2021 के पूर्व तक का निर्गत होना आवश्यक है।

05. उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।
06. यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन आप अपनी योग्यता/अनुभव से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपकी अभ्यर्थिता प्रभावित होगी।
07. (i) यदि आपने अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
- (iii) EWS के आरक्षण की दावा करने वाली विवाहित महिलायें यदि अपने पति के नाम से निर्गत EWS प्रमाण पत्र समर्पित करती हैं तो ऐसी महिला उम्मीदवारों को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा EWS आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
08. दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
09. उम्मीदवार अपने दस्तावेज सत्यापन के दिन एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा-मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, झाईविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रतियाँ स्वच्छ एवं पठनीय स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
10. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1 (एक) घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
11. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू-टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
12. उक्त विज्ञापन की मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन (Documents Verification) के उपरांत साक्षात्कार आयोजित के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जायेगी।
13. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।


परीक्षा निर्धंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना